

पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532  
तार : युनिवर्सिटी  
फेक्स : 0731-529540



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/20/1113  
प्रति,

दिनांक :

23 MAR 2021

प्रचार्य/संचालक,

एक्रोपोलिस इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च,  
इन्दौर बायपास रोड, मांगलिया चौराहा,  
इन्दौर।

विषय:- महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्र./ए.आई.एम.एस.आर./2020/02 दिनांक 03/03/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के संबंध में लेख्य है कि आपके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क जी.एस.टी. सहित राशि रुपये 5,09,760/- एम.पी.ऑनलाइन आई.डी. क्र. 20022652783715623903 दिनांक 26.02.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किये हैं।

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	बी.कॉम.	60
2	बी.कॉम. (टेक्स प्रोसिजर अति. विषय के साथ)	60
3	बी.कॉम. (ऑनर्स)	120
4	बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति. विषय के साथ)	60
5	बी.एससी. (कम्प्यूटर साइंस अति. विषय के साथ)	60
6	बी.बी.ए.	240
7	बी.सी.ए.	60
8	बी.एससी. (बायोटेक्नालॉजी, केमेस्ट्री, कम्प्यूटर साइंस)	60

अतः उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सशर्त सम्बद्धता निरन्तरता जारी है।

शर्त:-

शर्त:-

- राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं प्रवेश नियमावली के अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही का पूर्ण पालन किया जावे।
- परीक्षा कार्य में असहयोग करने वाले महाविद्यालयों को आगामी सत्र में निरन्तरता/नवीनीकरण करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
- महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि यू.जी.सी. मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा।
- विश्वविद्यालय परिनियम क्र. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
- महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हार एज्युकेशन [aishe.gov.in](http://aishe.gov.in) के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
- महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु रुपये 10/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र.शैक्षणिक/सम्बद्धता/20/  
प्रतिलिपि:-

दिनांक :

23 MAR 2021

- उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनाार्थ।
- निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, दे.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप-कुलसचिव(शैक्ष.)